By Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. DM/6/2017/STGUP/ATPHHR/RU-I

Date: 29 /12/2017

To

The Senior Superintendent of Police,
District Mathura,
Mathura – 281001.
Uttar Pradesh.

Sub: Representation dated nil received from Shri Dharmendra Meena, R/o B - 47, Chanakyapuri, Mathura, Uttar Pradesh regarding caste abuse, threatening and physical harassment.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 11/12/2017 on the above mentioned subject for immediate necessary action. Action Taken Report in this regard may be submitted to the Commission **within 15 days** positively.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Shri Dharmendra Meena,
R/o B - 47,
Chanakyapuri, Mathura,
Uttar Pradesh.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. SAS NIC (for hosting on Commission's website)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DM/6/2017/STGUP/ATPHHR/RU-I)

श्री धर्मेन्द्र मीणा, बी.-47, चाणक्यपुरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा उनकी बहन को दबंगों द्वारा जबरन अपहरण करने और पुलिस द्वारा कार्यवाई नहीं करने के सम्बन्ध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 11.12.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री धर्मेन्द्र मीणा, बी.-47, चाणक्यपुरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश ने उनकी बहन को दबंगों द्वारा जबरन अपहरण करने और पुलिस द्वारा कार्यवाई नहीं करने के सम्बन्ध में दिनांक 17.11.2017 को आयोग को मे अभ्यावेदन दिया था और न्याय के लिए निवेदन किया।
2. अभ्यावेदक ने बताया कि उनकी बहन जो मानसिक रोगी है दिनांक 15.11.2017 को कॉलेज के लिए घर से निकली किन्तु घर वापस नहीं आई। इसकी शिकायत थाना हाइवे में दर्ज कराई गई। किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाई नहीं की। अगले दिन उनकी उक्त बहन का फोन आया जिसमे वो खुद के अपहरण का आरोप लगा रही थी और रोकर खुद को बचाने का आग्रह कर रही थी। उसने यह बताया कि गैरआदिवासी बिरादरी के एक दिव्यांग व्यक्ति से उसकी जबरन शादी के लिए उसका अपहरण कर लिया गया है। अभ्यावेदक ने सम्बंधित थाने में इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई किन्तु वहाँ से कोई कार्यवाई नहीं की गई।
3. आयोग ने इस मामले में दिनांक 17.11.2017 को एक नोटिस जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से जानकारी मंगाई। इसके जवाब के रूप में दिनांक 19.11.2017 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि मामले को दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. दिनांक 27.11.2017 को अभ्यावेदक पुनः आयोग में उपस्थित होकर पुलिस कार्यवाई से असंतुष्टि जाहिर करते हुए आयोग से इस मामले में न्याय दिलाने का निवेदन किया। आयोग ने अभ्यावेदक के मामले में दिनांक 30.11.2017 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को आयोग में चर्चा के लिए दिनांक 11.12.2017 को बुलाया।
5. आयोग में चर्चा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा की जगह श्री विनय सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक, मथुरा उपस्थित हुए।
6. आयोग ने अभ्यावेदक श्री धर्मेन्द्र मीणा से अपना मामला आयोग के समक्ष रखने को कहा। श्री धर्मेन्द्र मीणा ने आयोग को अवगत कराया कि, उनकी बहन जो मानसिक रोगी है दिनांक 15.11.2017 को कॉलेज के लिए घर से निकली किन्तु घर वापस नहीं आई। इसकी शिकायत थाना हाइवे में दर्ज कराई गई। किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाई नहीं की। अगले दिन उनकी उक्त बहन का फोन आया जिसमे वो खुद के अपहरण का आरोप लगा रही थी और रोकर खुद को बचाने का आग्रह कर रही थी। उसने यह बताया कि गैरआदिवासी बिरादरी के एक दिव्यांग व्यक्ति से उसकी जबरन शादी के लिए उसका अपहरण कर लिया गया है। अभ्यावेदक ने सम्बंधित थाने में इस सम्बन्ध में जानकारी दी गई किन्तु वहाँ से कोई कार्यवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी पक्ष की तरफ से उन्हें बार- बार धमकी भी मिल रही है।
7. आयोग ने उप पुलिस अधीक्षक, मथुरा से इस मामले में हुई कार्यवाई और प्रगति के सम्बन्ध में जानना चाहा। उप पुलिस अधीक्षक, मथुरा ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया था और इस मामले में गहन छानबीन की गई। अन्य सूत्रों से पीडिता की तलाशी और बरामदगी के प्रयास के दौरान दिनांक 30.11.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पीडिता द्वारा दायर की गई सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या- 55222 / 2017 का आदेश प्राप्त हुआ जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीडिता (कु.उषा मीणा) और श्री सत्यभान सिंह की शादी होना अंकित किया गया एवं उषा मीणा के माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा में उपस्थित होने पर धारा 164 दं.प्र.सं. में बयान अंकित कराये जाने का निर्देश था। दिनांक 01.12.2017 को थाना हाइवे के द्वारा श्रीमती उषा मीणा पत्नी- श्री सत्यभान सिंह पुत्री- श्री विजेंद्र सिंह आदि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दायर क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या- 26379 / 2017 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 प्राप्त हुआ जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि अग्रिम आदेश तक किसी की गिरफ्तारी न की जाय एवं श्री विजेंद्र सिंह के द्वारा याचिकाकर्ता श्रीमती उषा मीणा और श्री सत्यभान सिंह के विवाहित जीवन में दखल नहीं दें।

8. आयोग ने सभी पक्षों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह पाया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश के द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी से छूट मिली है, साथ ही दोनों की शादी सम्पन्न हो चुकी है और ऐसा आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः आयोग इस मामले में कोई अनुशंसा नहीं करेगा। किन्तु आदिवासी वर्गों के हित में आयोग मथुरा पुलिस के लिए यह अनुशंसा करता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में तत्परता बरतें तथा इस मामले में अभ्यावेदक और उनके परिवार की भी सुरक्षा सुनिश्चित करे। आयोग इस सम्बन्ध में यह भी अनुशंसा करता है कि इस मामले में माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में की गई कार्यवाई से आयोग को अवगत कराया जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DM/6/2017/STGUP/ATPHHR/RU-I)

श्री धर्मेन्द्र मीणा, बी.-47, चाणक्यपुरी, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा उनकी बहन को दबंगों द्वारा जबरन अपहरण करने और पुलिस द्वारा कार्यवाई नहीं करने के सम्बन्ध में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 11.12.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री हरिराम मीना, वरिष्ठ अन्वेषक

दिल्ली पुलिस के अधिकारी

1. श्री विनय सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक, मथुरा

अभ्यावेदक

1. श्री धर्मेन्द्र मीणा